संख्या सा–3–561/दस–946-87

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 1991

विषय:—दिनांक 1–1–1986 के पूर्व सेवानिवृत्ति एवं पुनर्योजित सैनिक पेंशनरों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण ।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सेवानिवृत्ति सैनिक पेंशनरों को राज्य सरकार के अधीन विभिन्न कार्यालयों में पुनर्योजित किया जाता है । पुनर्योजन की अवधि में इन सैनिक पेंशनरों के वेतन एवं भत्तों के निर्धारण के बिन्दु पर शासन द्वारा समय-समय पर नीति निर्देश जारी किये जाते हैं । राज्य सरकार के कार्यालयों में ऐसे भी सैनिक पेंशनर पुनर्योजित हैं जो सेना से दिनांक 1–1–1986 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं । भारत सरकार ने अपने चतुर्थ वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक 1–1–1986 को पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत के 608 बिन्दु के मूल्य सूचकांक के बराबर धनराशि मूल पेंशन में समायोजित करके पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित कर दी है । उसके उपरान्त दिनांक 1–1–1986 से उक्त समेकित पेंशन की धनराशि पर भारत सरकार द्वारा नई दरों पर महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है ।

2—उपरोक्त प्रस्तर में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित किये जाने पर अनेकों मामले ऐसे भी पाये गए जिनमें पुनर्योजन की अवधि में वेतन निर्धारण में अन्तिम आहरित वेतन से सकल पेंशन की धनराशि घटाने पर पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि पुनर्योजित पद के वेतनमान के बराबर अथवा अधिक पाई गई । इस प्रकार से एक ओर जहां पुनर्योजित कर्मियों के वेतन निर्धारण में कठिनाई होने लगी वहीं दूसरी ओर संबंधित कार्मिकों को आर्थिक कठिनाई भी होने लगी ।

3—उपरोक्त प्रस्तर (1) एवं (2) में उल्लिखित परिस्थितियों पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उन प्रकरणों में जहां पुनर्योजित सैनिक पेंशनर दिनांक 1–1–1986 के पूर्व सेना से सेवानिवृत्त हुआ है उन मामलों में वेतन निर्धारण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :—

(1) सेना से सेवानिवृत्ति की तिथि को अनुमन्य वेतन तथा

(2) दिनांक 1–1–1986 को 608 मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई भत्ते की धनराशि को जोड़कर जो संहत धनराशि आये वही धनराशि सैनिक पेंशनर का अन्तिम आहरित वेतनमान लिया जाये तथा उक्त धनराशि से दिनांक 1–1–1986 से पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि को घटा करके पुनर्योजित पद पर वेतन निर्धारित किया जाए ।

4—उपरोक्त प्रस्तर (3) में उल्लिखित व्यवस्था के साथ शासनादेश संख्या सा–3–1061/दस–919-86, दिनांक 11 फरवरी, 1987 में वर्णित व्यवस्था अर्थात् सैनिक पेंशन उपेक्षित किये जाने का प्राविधान भी यथावत् लागू रहेगा ।

5—उपेक्षित सैनिक पेंशन की धनराशि पर किसी प्रकार के भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।

6—दिनांक 1–1–1986 से उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार वेतन निर्धारित किये जाने पर जो धनराशि आयेगी उसी धनराशि पर दिनांक 1–1–1986 से नई दरों पर महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे ।

7— पुनर्योजन की अवधि में वेतन निर्धारण करने में अन्तिम आहरित वेतन से सकल पेंशन की धनराशि घटाई जाती है । इस संदर्भ में मुझे यह कहना है कि शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि दिनांक 1-6-1988 से पुनर्योजन के मामलों में वेतन निर्धारित करने में सकल पेंशन के स्थान पर शुद्ध पेंशन (राशिकरण के पूर्व) की धनराशि घटाई जायेगी ।

8-- सैनिक पेंशनरों के पुनर्योजन संबंधी अन्य शर्तें पूर्ववत् लागू रहेंगी ।

भवदीय,

अनूप मिश्र,
विशेष सचिव ।

संख्या सा-3-561(1)/वस-946-87, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद ।

2—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

3—निदेशक, सैनिक कल्याण, एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

4—प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, 510/217, न्यू हैदराबाद, लखनऊ ।

5—विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय, लखनऊ ।

आज्ञा से,

गणेश दत्त दीक्षित,
संयुक्त सचिव ।

पो०एस० यू० पो०—ए० पी० 50 सा०वित्त—19-8-91—ई 2283)—1991—11,000 (हि०) ।